दूरभाष : 0121–2665734
फैक्स : 0121–2666062

कार्यालय
Office of the
प्रबन्ध निदेशक
MANAGING DIRECTOR
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0
Paschimanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd.
विक्टोरिया पार्क, मेरठ
Victoria Park, MEERUT—250001

संख्या : 4809/प0वि0वि0नि0लि0/मेरठ/लेखा/ए–15 दिनांक : 04.09.2013

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 में 60 वर्ष की निर्धारित अधिवर्षता आयु पूर्ण करने पर अधोनामित लेखाकारों को उनके सम्मुख इंगित तिथियों से सेवानिवृत्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	नाम, गृह जनपद, जन्मतिथि	वर्तमान तैनाती स्थल	सेवानिवृत्ति तिथि	अभ्युक्ति
1.	श्री मुसर्रत हुसैन, मुरादाबाद, 08.05.1954	परि0ले0का0(वित0), मुरादाबाद	31.05.2014 अपरान्ह	
2.	श्री अविनाश चन्द निगम, लखनऊ, 10.05.1954	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ	31.05.2014 अपरान्ह	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 में आमेलित।
3.	श्री श्रीप्रकाश मित्तल, मुजफ्फरनगर, 08.07.1954	वि0न0वि0ख0–तृतीय, नौएडा (कार्य)	31.07.2014 अपरान्ह	
4.	श्री लेखराज सिंह, गाजियाबाद, 06.07.1954	वि0वि0ख0–तृतीय, बुलन्दशहर (राजस्व)	31.07.2014 अपरान्ह	
5.	श्री श्रवण कुमार ढींगरा, मुजफ्फरनगर, 23.08.1954	वि0वि0ख0–तृतीय, मेरठ (राजस्व)	31.08.2014 अपरान्ह	
6.	श्री अश्विनी कुमार, गाजियाबाद, 22.12.1954	वि0वि0ख0, हापुड़ (राजस्व)	31.12.2014 अपरान्ह	
7.	श्री प्रमोद कुमार, संभल, 12.12.1954	वि0वि0ख0, धामपुर (कार्य)	31.12.2014 अपरान्ह	
8.	श्री राघवेन्द्र नाथ शर्मा, सहारनपुर, 26.01.1955	वि0न0वि0ख0–पंचम, नौएडा (कार्य)	31.01.2015 अपरान्ह	
9.	श्री विनोद कुमार, आजमगढ़, 15.01.1955	वि0वि0ख0, खतौली (कार्य)	31.01.2015 अपरान्ह	

उक्त आदेश संबंधित लेखाकारों को स्तम्भ–4 में दर्शित उनकी सेवानिवृत्ति तिथि तक सेवा में बने रहने का अधिकार प्रदान नहीं करते हैं। संगत विनियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा उन्हें लोकहित में उक्त तिथि के पूर्व कभी भी सेवानिवृत्त किया जा सकता है। किसी कारणवश उपरोक्त सूची में नाम सम्मिलित होने से रह जाने पर भी अधिवर्षता आयु प्राप्त कर चुके लेखाकारों का यह व्यक्तिगत दायित्व है कि वह बिना किसी अग्रेतर आदेश/निर्देश की प्रतीक्षा किये नियत तिथि को सेवानिवृत्त/कार्यमुक्त हो जायें। साथ ही साथ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि वास्तविक सेवानिवृत्ति की तिथि सूचित की जा रही तिथि से पहले पड़ती है तो वास्तविक व सही तिथि को सेवानिवृत्त होना स्वयं लेखाकार की विधिक जिम्मेदारी होगी।

नियंत्रक अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि सेवानिवृत्ति हेतु देय कार्मिक को पेंशन प्रपत्र सेवा निवृत्त होने से पूर्व यथासमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें जिससे वे समय से पेंशन प्रपत्र पूर्ण कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित कर सकें एवं सेवानिवृत्ति हेतु देय कार्मिकों की सेवा पुस्तिका, वेतन निर्धारण इत्यादि की जॉच एवं देयता प्रमाण पत्र समय से प्राप्त करना भी सुनिश्चित किया जाये।

उपमहाप्रबन्धक (सम्प्रेक्षा)

क्रमशः..2.....

संख्या :4809/प०वि०वि०नि०लि०/मेरठ/लेखा/ए–15 दिनांक : 4 SEP 2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, गोखले मार्ग, लखनऊ।
2. उपमहाप्रबन्धक (लेखा), मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, गोखले मार्ग, लखनऊ।
3. सचिव, उ0प्र0 स्टेट पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. उपमुख्यलेखाधिकारी, परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय (वितरण), मुरादाबाद/सहारनपुर/मेरठ/गाजियाबाद।
5. संबंधित अधिशासी अभियन्ता।
6. वरिष्ठ लेखाधिकारी (पेंशन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. संबंधित लेखाकार/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाईल/कम्प्यूटर रूम वेबसाईट पर अपलोड हेतु।

(ए0के0 गर्ग)
लेखाधिकारी

संख्या : /प०वि०वि०नि०लि०/मेरठ/लेखा/ए–15 दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त सेवानिवृत्त होने वाले लेखाकारों के विरूद्ध लम्बित विभागीय कार्यवाही/जॉच इत्यादि यदि कोई हो तो यथासमय पूर्ण/निर्णय कराने की व्यवस्था करने की कृपा करें जिससे कि लेखाकारों के नैवृत्तिक लाभों की स्वीकृति में अनावश्यक विलम्ब न हो।

1. संयुक्त सचिव (अनुशासनिक कार्यवाही), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

(ए0के0 गर्ग)
लेखाधिकारी